उनवान सरकार बनाम ..... दर्शन सिंह व/s बाबू लाल

	हुक्म की तामील में जारी हुए
मुकदमा नं० 56/17 ..... निर्णय दि० 2.6.18	
पक्षकारों या उनके वकीलों द्वारा कार्य न्यायालय का राज्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर होने से, जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 6/6/18 को रखी है।	
पत्रावली पेश हुई वकील वादी एवं साक्षी पक्षकार मौजूद हैं	
प्रतिपक्षी की ओर कोई उपस्थित नहीं है, उनके पक्षकार अनुपस्थित, पक्षकार को सुना गया	
पत्रावली का अवलोकन किया गया	
पक्षों का मनन किया गया	
पर्याप्त समय की सुविधा दी गई है पक्षों के साक्षी नहीं होने से अतः प्रतिपक्ष की साक्षी निरोधाज्ञा साक्षिका की जाती है। पत्रावली फाइल होकर नम्बर हो।	

दर्शन सिंह
7.6.18